

1/174695/2023

1741095  
संख्या- /XXXIV-2/2023/04/62569/2023

प्रेषक,

शैलेश बगौली,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र(यू-सैक),

अपर नालापानी, आमवाला देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2023।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र हेतु अनुपूरक बजट 2023-24 में मद संख्या-56(सामान्य गैर वेतन) के अंतर्गत उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हेतु प्रविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18466 दिनांक 24.11.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम(UKGAMS) पोर्टल स्थापित किये जाने के संबंध में सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के अंतर्गत गठित राज्य तकनीकी समिति(कार्यवृत्त संख्या-168025 बैठक दिनांक 13.10.2023) तथा सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के अंतर्गत गठित विभागीय वित्त समिति(कार्यवृत्त संख्या-170395 बैठक दिनांक 22.11.2023) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उक्त UKGAMS पोर्टल के क्रियान्वयन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक बजट के माध्यम से अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- 60-अन्य -004 अनुसंधान तथा विकास के अंतर्गत 05-उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता-मद संख्या-56(सामान्य गैर वेतन) में प्राविधानित रू० 900.00 लाख(रू० नौ करोड़) की धनराशिको नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु मा० राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अ- बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।

ब- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

स- प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और मितव्ययता के संबंध में योजना बना ली जाय। तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित/आवंटित धनराशि के सापेक्ष बजट का लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित कर बजट सुनिश्चित किया जाय। मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

द- धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

य- प्रश्नगत धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जाय अन्यथा धनराशि को तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

र- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-01 (लेखा नियम) आय-व्ययक से सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-01 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/विवरणानुसार सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक- 31.03.2023 में तथा शासनादेश संख्या-155181 दिनांक 18.09.2023 में प्रदत्त अधिकार/दिशा-निर्देशों के अधीन वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-ऑनलाईन.बजट आई0डी0।

Signed by Shailesh  
Bagauli

Date: 11-12-2023 15:29:42

मवदीय,

(शैलेश बगौली)  
सचिव

संख्या-174095/XXXIV-2/2023/04/62569/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. बजट अधिकारी साईवर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव)

अपर सचिव